Assam for the services of the financial year 1982-83.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83."

The motion was adopted.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Sir, I introduce** the Bill.

Sir, I beg to move** :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the Clauses.

The question is :

"That Clauses 2 and 3 and the Scheduled stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, Half-An-Hour Discussion has got to be taken up 5.30 P.M. I want the consent of the House whether we can take it up now.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

17.20 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

HEAVY LOSSES INCURRED BY FOOD CORPORATION OF INDIA

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जो सवाल 11 तारीख को पूछा गया था

[شری رشید مسعود (سہارنپور) : محترم ڈپٹی سپیکر صاحب ، جو سوال ۱۱ تاریخ کو پوچھا گیا تھا -]

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would suggest that we take up the Supplementary Demands for Grants for just 10 minutes. By that time, the Hon. Minister will come.

**Introduced/moved with the recommendation of the President.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पार्लिया-मेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर ने यह कहा था कि इसको कल लिया जाएगा। हम लोगों ने कुछ कट मोशंस भी दिये हैं। उनको भी लिया जाना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Hon. Minister must be here. This is Half-an-hour discussion. The Hon. Minister concerned must be here. That is what I am saying.

SHRI RASHEED MASOOD : Why is he not here ? He is responsible .

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Hon. Minister will come at 5.30 P.M. He has started earlier.

The Hon. Minister will come. You carry on.

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जब 11 अक्तूबर को यह सवाल पूछा गया था जिस पर कि अब हम आधा घण्टे की चर्चा कर रहे हैं तो उस सवाल के जवाब को आप देखें तो आपको अन्दाजा हो जाएगा कि इस सवाल का जो उत्तर दिया गया है उसमें उस सारे मामले को नजरअन्दाज कर दिया गया है जिस मामले को लेकर यह सवाल पूछा गया था उसको छुआ तक नहीं गया।

रीजंस पूछे गये थे कि पिछले पांच साल में एफ० सी० आई० को जो लॉस हो रहा है उसके क्या रीजंस हैं ? जवाब में जो रीजंस दिये गये हैं वे सब्सीडी और रेलवे को डेमरेज के दिये गये हैं। लेकिन इन दोनों वजूहात के अलावा दूसरी वजूहात भी हैं जिनके कारण एफ० सी० आई० को नुकसान हो रहा है।

मैं समझता हूं कि उस तरफ के मेरे दोस्त खफा नहीं होंगे अगर मैं यह कहूं कि 1980 से एक ट्रेंड हो गया है कि जो सवाल हमारी तरफ से पूछे जाते हैं और जिनसे हम कुछ मसले सरकार के सामने लाना चाहते हैं उनको ठीक तरह से रिप्लाई नहीं किया जाता। उनके इवेंसिव रिप्लाई दिये जाते हैं। इस तरह से हम लोग हिन्दुस्तान की जनता के सही मामलात को आपके सामने नहीं रख पाते।

यह जो सवाल पूछा गया था और जिसका जबाव दिया गया कि सब्सीडी और डेमरेज की वजह से नुकसान होता है। इनकी वजह से तो नुकसान होता है लेकिन उसमें नुकसान होने की और दूसरी वजूहात भी हैं।

आप देखेंगे कि इसकी मेन वजूहात यह है कि कारपोरेशन के पिछले दो साल से कोई चेयरमैन नहीं है। दो साल के बाद आपने उसका एक चेयरमैन अपोइंट किया था। अब उसको गवर्नर बना दिया गया है। इस तरह से आपकी यह कारपोरेशन यतीम हो गयी है, कोई आदमी उसको देखने वाला नहीं है।

इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि उसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में 12 मेम्बर्स होते हैं। उनमें से 6 एक्स आफिसशियल मेम्बर होते हैं और 6 मेम्बर्स पब्लिक के होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट अपोइन्ट करती हैं। उन 6 मेम्बरों को अभी तक वहां अपोइन्ट नहीं किया गया है। यानी पब्लिक का कोई नुमाइन्दा उसमें नहीं है। सारे गवर्नमेंट आफिशियल्स हैं और उस बोर्ड में 6 का ही कोरम है। आपने इन 6 गवर्नमेंट आफिशियल्स को इसलिए रखा हुआ है कि आपका कोरम पूरा हो सके और आपको पब्लिक के नुमाइन्दों की जरूरत न पड़े। यही वजह है कि एफ० सी० आई० में नुकसान हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है।

पंजाब में जो नुकसान हुआ, उसके क्या वजूहात है ? नुकसान डेमरेज या सब्सीडी की वजह से नहीं होता है। आपका नुकसान होता है आप जो स्टोरेज करते हैं गेहूं का, उसमें आपका गेहूँ सड़ता है, उससे नुकसान होता है । दूसरा नुकसान होता है आपके यहां से चोरी होती है । तीसरे आपके यहां से जैसे अभी अमेरीका से गेहूँ आया, उसको उतारने के सिलसिले में गैर-कानूनी तरीका अपनाया गया, उसमें नुकसान होता है। जहां से खरीदा जाता है, उस खरीद में नुकसान होता है।

पिछले दिनों पंजाब के अटरी स्टेशन पर आपका कुछ अनाज चोरी हुआ। कुछ आफिशियल्स को आपने भेजा इन्क्वायरी करवाने के लिए। लेकिन आफिशियलस ने आकर रिपोर्ट दी कि रेलवे अथारिटीज ने हमारे साथ कुछ कोआपरेट नहीं किया और उन्होंने कहा कि यहां पर आर० पी० एफ० वगैरह है और रेलवे के एरिया में है, लिहाजा आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अफसोस की बात है वह यह नहीं है कि रेलवे की अथारिटीज की वजह से आपको नुकसान हुआ, बल्कि यह हुआ है जहां आप लदान करते हैं वहां आपका लदान उतने बैग्स का होता ही नहीं, जितने कागज में दिखा दिए । नतीजा यह है कि आपको इतना बड़ा नुकसान भुगतान पड़ा। मोहतरीम राव साहब ने इसी साल मार्च में बताया था कि आफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आज तक मालूम नहीं हुआ कि क्या एक्शन लिया गया। मैंने यह एक छोटी सी मिसाल दी है, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए।

दूसरा आपके यहां शक्ति नगर और नारायणा, दिल्ली में आपके स्टोर हैं। उनमें सिर्फ 1980 में 40 लाख का नुकसान हुआ। उसके लिए किन-किन आफिसर्स को सजाएं दी हैं। क्या आपने इसकी इन्क्वायरी कराई है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए गए।

माफ करना, सब से अफसोसनाक बात यह है कि राव साहब ने वह समझ लिया है कि हम और वे दोनों अलग-चलग हैं और हमें अलग-अलग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चलना है। अपोजीशन चाहे कंस्ट्रेक्टिव सजेशस भी दे, तब भी उनको नहीं सुनना है। (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि जब यह एटीच्यूट रहेगा कि हम लोग अनियमितताओं को बताएं और यह समझकर कि यह अपोजीशन की तरफ से आया है, उन चीजों को नजर-अंदाज कर दिया जाए तो आप ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे।

पिछले साल जब अमेरीका से गेहूं आया और मद्रास में जब गेहूं उतरा तो आप पहले जो मेनुअल लेबर के जरिए से उतरवाते थे उससे न उतरवाकर मेकेनाइज्ड तरीका अपनाया गया, जिसमें 10 रुपये प्रति टन पोर्ट के लेबर बोर्ड को देना पड़ा। जब आप मेनुअल लेबर से उतरवाते थे तो 3000 टन रोज उतरता था, लेकिन जब मेकेनाइज्ड तरीके से उतारना शुरू किया तो एक हजार टन रोज उतार पाए। नतीजा यह हुआ कि एक करोड़ चालीस लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया।

मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपने जरूर किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया होगा और अगर ठहराया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि वे कौन लोग हैं और क्या इस सिलसिले में कोई इन्क्वायरी की गई है ?

[श्री रशीद मसूद]

इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में पिछले साल, बल्कि इसी साल समझ लीजिए जो गेहूं का गुजरा है, उसमें एक करोड़ रुपए का लॉस हुआ। आपने कहा कि वहां पर रेलवे अथारिटीज़ ने कोआपरेट नहीं किया, इसीलिए नुकसान हुआ है। गर्वनमेंट की ज्वाइंट रेसपांसिबिल्टी होती है। रेलवे वालों पर आप इल्जाम लगाते रहें और रेलवे वाले आप पर इल्जाम लगाते रहें और नुकसान इस मुल्क की जनता का होता रहे।

अगर आप और रेलवे, एक ही मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग तालमेल करके नहीं चल सकते हैं तो इस मुल्क को कैसे चलाने का ख्वाब देखते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद कोई गर्वनमेंट ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। हमेशा दूसरों के कन्धे पर चलाने की बात होती है। रेलवे वाले कहते हैं एफ० सी० आई० ने कहा है और एफ० सी० आई० वाले कहते हैं रेलवे ने किया है नतीजा यह है कि कोई हल निकलने वाला नहीं है।

गांधी धाम गुजरात में आडिटर और कम्पट्रोलर जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया है कि 13 करोड़ 29 लाख का लॉस आपको हुआ है, वहां पर जो आपका गेहूँ का स्टोर था उसकी वजह इस रिपोर्ट में यह बताई गई है कि आपने जमीन के ऊपर गेहूं को रखा है, बारिश और धूप के अन्दर वह खुला रहा जिसकी वजह से 19 करोड़ 10 लाख का जो अनाज वहां पर था उसमें 13 करोड़ 29 लाख का नुकसान आपको हुआ। उस समय आपको रेसपान्सिबिल्टी फिक्स करनी चाहिए थी। इसकी रेसपान्सिबिल्टी आपने किस पर फिक्स की है।

दूसरा मामला है सब्सीडी का। आपका 200 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल जो आपने इनिश्यिली प्रोवाइड किया और आप जो ट्रान्जैक्शन करते हैं वह करीब साढ़े छः सात करोड़ का। नतीजा यह है कि बाकी जो है सब आपको लोन लेना पड़ता है। जब आप खरीदते हैं तो उसको स्टोर किया जाता है यानी एक तरह से मनी ब्लाक हो जाता है। पिछले साल का सूद मुझे मालूम है, इस साल कुछ ज्यादा हो गया। इस साल सात सौ करोड़ रुपए का आपका सब्सीडी बढ़ा हुआ है। पिछले साल जो सब्सीडी आप देते थे, उसका आधा भाग बैंक में चला जाता था। करीब 186 पाइन्ट कुछ करोड़ का सूद आपका बैंक को चला जाता था। यह इतना बड़ा आपके जरिए चलाया हुआ परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर है। इसको अगर आप दो सौ करोड़ रुपए की धनराशि से चलायेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें इतना जो जा रहा है 186 करोड़ रुपया इन्टरेस्ट का जायेगा और आपका नुकसान पूरा नहीं होगा। पहले तो दो सौ, ढ़ाई सौ शायद अब तीन सौ करोड़ रुपए का हो गया होगा इन्टरेस्ट, बैंक को जाता है।

दूसरी बात जैसा आपने बताया कि आप सब्सीडी देते हैं, यह बात सही है। सब्सीडी देनी चाहिए क्योंकि कन्ज्यूमर बहुत गरीब है, उन लोगों को बहुत जरूरत है। कहीं-कहीं तिकोना सिस्टम है, उसकी वजह से सब्सीडी का फायदा कंज्यूमर को पहुंच रहा है या नहीं आपकी और स्टेट की अलग-अलग एजेंसियां हैं। जिस रेट पर

स्टेट को देते हैं, स्टेट कुछ नहीं करती। प्रोक्यर आप करते हैं, स्टोर आप करते हैं और वो एक इन्सपैक्टर बैठा देती है। स्टेट एजेंसीज फिर से अपना खर्चा ट्रांसपोर्ट वगैरह का लगा कर जोकि 13-14 रुपये बैठता है फी क्विंटल कीमत बढ़ा देती है। कहीं पर 182 पर मिल रहा है और कहीं पर 174 या 176 पर। आपका रेट सब जगह ज्यादा है। दिल्ली में 165 है। लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कंज्यूमर को उसी प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप सब्सीडी न भी देते तब भी मिलता। आपकी जो इकोनौमिक कास्ट है उससे ज्यादा कीमत पर उसको अब भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार की मिसालें आपके सामने हैं।

रोलर फलोर मिल्ज़ को आप देते हैं सबसिडाइज्ड रेट्स पर और उस पर भी आपको लास हो रहा है। यह जो आप उनको गेहूं देते हैं इस पर आपका कोई कट्रोल नहीं है कि किस तरह वे बेचेंगे और कहां बेचेंगी, किस रेट पर बेचेंगी। एक्ट में प्रोवाइडिड है कि खुद की आपको रोलर मिल्ज़ लगानी चाहिये। अगर किसी वजह से आप नहीं लगा पाते हैं तो इन पर आपका पूरा कंट्रोल तो होना चाहिये। प्राइवेट आदमी को जो मुनाफा इस वजह से हो रहा है उसको भी तो आपको देखना चाहिये। पांच छः रुपये का बैग भी आप उनको दे देते हैं, साथ में। यह जो सोर्स हैं इसको भी आप देख सकते हैं और इससे अपने लॉस को कम कर सकते हैं।

गनी बैग्ज़ वाला स्कैंडल आपने पढ़ा होगा। आप तो खूब पढ़ते हैं। राइस मिल ओनर्स के साथ क्या हो रहा है। बी और सी बैग होते हैं। सी बैग सप्लाई करके बी की प्राइस ली जाती है। यह क्यों? कौन रोकेगा इसको?

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को आप देखें। छः नुमाइंदे होते हैं और सारे के सारे अफसर होते हैं। चित्त भी मेरी पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। कोई रुकावट नहीं है। चैयरमैन आपका मुस्तकिल होना चाहिये। डायरेक्टर आप एप्वाइंट करें। आपने श्री रामचन्द्रन को एप्वाइंट किया था और अब उनको गवर्नर बना दिया है। फिर यह कारपोरेशन यतीम हो गया है।

परचेजिंग सेंटर जो आपके हैं वहां क्या होता है। वहां भी आपको नुकसान होता है। जिनको आप वहां खरीदने के लिए भेजते हैं 140 रुपये या किसी भी कीमत पर तीन चार किलो पर क्विंटल वे वैसे ही ज्यादा ले लेते हैं। उसके बाद जो एक और तरीका वे अपनाते हैं वह रिजेक्ट करने वाला है। जब वे रिजेक्ट कर देते हैं तो बेचारा किसान बड़ा परेशान होता है, वह खुशामद करता है। फिर वे उससे 138-139 में खरीद लेते हैं और वहीं मंडी में जो आढ़ती होता है उसको एजेंट बना लेते हैं। आप इसकी इनक्वारी करवाएं। मैंने 1978 में एक केस आपको पकड़ कर दिया था। बाद में उस केस में उस आदमी को ससपेंड भी किया गया। मुझे पता नहीं बाद में क्या हुआ। 138-139 के भाव पर किसान का जो गेहूं खरीदा जाता है उसको 142 के भाव पर आपके ही सेंटर में बाद में ले लिया जाता है। ये जो तीन चार रुपये हैं जो या तो आपको बचने चाहिये थे या जाने चाहिये थे किसान को, आप में से किसी को नहीं मिलते हैं इसको भी आपको देखना चाहिये।

अब आप चोरी के मामले को लें। आपको याद होगा कि पिछले साल 4 जुलाई

[श्री रशीद मसूद]

को 81 बैग्ज ले जाता हुआ एक ट्रक पकड़ा गया था। यह आपके स्टोर से ले जाया जा रहा था। किन-किन के खिलाफ़ आपने एक्शन लिया? क्या कोई मजीद आपने इन्क्वायरी की? यह एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने दी है। जो नहीं पकड़ा गया वह लास में गया आपका। और जो पकड़ा गया वह चोरी आप कह देते हैं। तो इनको रोकें।

दूसरे यह कि आपके यहां सिविल इंजीनियरिंग महकमा है और इंजीनियर्स भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सी० पी० डब्ल्यू० डी० को कांट्रेक्ट देते हैं इमारतें बनाने के लिये। ऐसा क्यों? आपका यह महकमा फिर किस लिये है? क्या यह सारा पैसा बेकार नहीं कर रहे हैं?

तीसरे आपने कहा कि नुकसान के लिये कांट्रेक्टर्स पर मुकदमे चलायेंगे। कोई भी साल आपका ऐसा नहीं हैं जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा डेमरेज में खर्च न हुआ हो। आप कांट्रेक्टर को 14 दिन की जेल करा देंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कांट्रेक्टर भी मजे में और आफिसर्स भी मजे में। लेकिन सफर करेगी कोरपोरेशन। तो आप बतायें कितने कांट्रेक्टर्स के खिलाफ आपने केसेज चलाये हैं और कितनों में कामयाबी हुई है, और क्या करने का इरादा है?

दूसरे यह कि आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बल्कि सभी जगह करप्शन बढ़ गया है क्योंकि बकील प्राइम मिनिस्टर के करप्शन इंटरनेशनल फिनामनन है। आपके चीफ विजिलेंस अफसर के खिलाफ यह शिकायत है कि उसने हाउस रेंट अलाउन्स गलत और झूंठी रसीद के ऊपर लिया है। क्या यह बात सही है? और अगर है तो उसके खिलाफ क्या ऐक्शन आपने लिया है? चीफ विजिलेंस अफसर का काम करप्शन रोकने का है। क्या ऐसा आदमी करप्शन रोक सकता है जिसका करेक्टर खुद ऐसा हो? अभी इनको ऐक्सटेंशन मिला है, आप बतायें कि क्या इन्होंने अपनी डेट आफ बर्थ में कोई गड़बड़ी की है?

[شری رشید مسعود (سہارنپور) :

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - جب ۱۱ اکتوبر کو یہ سوال پوچھا گیا تھا جس پر کہ اب ہم آدھا گھنٹے کی چرچا کر رہے ہیں تو اس سوال کے جواب کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سوال کا جو اُتر دیا گیا ہے اس میں اس سارے معاملے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جس معاملے کو لے کر یہ سوال پوچھا گیا تھا - اس کو چھوا تک نہیں گیا -

ریزنس پوچھے گئے تھے کہ پچھلے پانچ سال میں ایف - سی - آئی - کو جو لاس ہو رہا ہے اس کے کیا ریزنس ہیں - جواب میں جو ریزنس دیئے گئے ہیں وہ سبسڈی اور ریلوے کو ڈیمریج کے دیئے گئے ہیں - لیکن ان دونوں وجوہات کے علاوہ دوسری وجوہات بھی ہیں جن کے کارن ایف - سی - آئی - کو نقصان ہو رہا ہے -

میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف کے میرے دوست خفا نہیں ہوں گے

تک وہاں اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے - یعنی پبلک کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں ہے - سارے گورنمینٹ آفیشیاس ہیں اور اس بورڈ میں چھ کا ہی کورم ہے - آپ نے ان چھ گورنمینٹ آفیشیاس کو اس لئے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا کورم پورا ہو سکے اور آپ کو پبلک کے نمائندوں کی ضرورت نہ پڑے یہی وجہ ہے کہ ایف - سی - آئی - میں نقصان ہو رہا ہے - کوئی دیکھنے والا نہیں ہے -

پنجاب میں جو نقصان ہوا اس کی کیا وجوہات ہیں - نقصان ڈیمریج یا سبسڈی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے - آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ جو اسٹوریج کرتے ہیں گیہوں کا - اس میں آپکا گیہوں سڑتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے - دوسرا نقصان ہوتا ہے آپکے یہاں سے چوری ہوتی ہے - تیسرے آپ کے یہاں سے جیسے ابھی امریکہ سے گیہوں آیا اس کو اتارنے کے سلسلے میں غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا اس میں نقصان ہوتا ہے - جہاں سے خریدا جاتا ہے اس خرید میں نقصان ہوتا ہے -

پچھلے دنوں پنجاب کے اتاری اسٹیشن پر آپ کا کچھ اناج چوری ہوا - کچھ آفیشیاس کو آپ نے برخاست انکوائری کروانے کے لئے - لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ۱۹۸۰ع سے ایک ٹریلٹ ہو گیا ہے کہ جو سوال ہماری طرف سے پوچھے جاتے ہیں اور جن سے ہم کچھ مسئلے سرکار کے سامنے لانا چاہتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے ہم لوگ ہندوستان کی جنتا کے صحیح معاملات کو آپ کے سامنے نہیں رکھ پاتے -

یہ جو سوال پوچھا گیا تھا اور جس کا جواب دیا گیا کہ سبسڈی اور ڈیمریج کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے - ان کی وجہ سے تو نقصان ہوتا ہے لیکن اس میں نقصان ہونے کی اور دوسری وجوہات بھی ہیں -

آپ دیکھیں گے کہ اس کی میں وجوہات یہ ہیں کہ کارپوریشن کے پچھلے دو سال سے کوئی چیئرمین نہیں ہیں - دو سال کے بعد آپ نے اس کا ایک چیئرمین اپوائنٹ کیا تھا - اب اس کو گورنر بنا دیا گیا ہے - اس طرح سے آپ کی یہ کارپوریشن یتیم ہو گئی ہے کوئی آدمی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے -

اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرس میں بارہ ممبرس ہوتے ہیں ان میں سے چھ ایکس آفیشیو ممبر ہوتے ہیں اور چھ ممبرس پبلک کے ہوتے ہیں جن کو کہ گورنمینٹ اپوائنٹ کرتی ہے - ان چھ ممبروں کو ابھی

آفیشیلس نے آکر رپورٹ دی کہ ریلوے آتھوریٹیز نے ہمارے ساتھ کچھ کوآپریٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آر۔ پی۔ ایف۔ وغیرہ ہے اور ریلوے کے ایریا میں ہے۔ لہذا آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آتھوریٹیز کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا بلکہ یہ ہوا ہے جہاں آپ لدان کرتے ہیں وہاں آپ کا لدان اتنے بیگس کا ہوتا ہی نہیں جتنے کاغذ میں دکھا دئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑا۔ محترم راؤ صاحب نے اسی سال مارچ میں بتایا تھا کہ آفیشیلس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آج تک معلوم نہیں ہوا کہ کیا ایکشن لیا گیا۔ میں نے یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس لئے۔

دوسرا آپ کے یہاں شکتی نگر اور نارائنا دلی میں آپ کے اسٹور ہیں۔ ان میں صرف ۱۹۸۰ء میں ۴۰ لاکھ کا نقصان ہوا۔ اس کے لئے کن کن آفیسرس کو سزائیں دی ہیں کیا آپ نے اس کی انکوائری کرائی ہے۔ کون لوگ اسکے لئے ذمہ دار پائے گئے۔

معاف کرنا سب سے افسوس ناک بات یہ ہے کہ راؤ صاحب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اور وہ دونوں الگ الگ ہیں اور ہمیں الگ الگ مختلف ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ اپوزیشن چاہے کانسٹرکٹو سجیشن بھی دے تب بھی انکو نہیں سننا ہے۔ (انٹرپشن)۔۔۔۔

میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ ایٹی ٹیوڈ رہے گا کہ ہم لوگ انی یمتاؤں کو بڑھائیں اور یہ سمجھ کر کے یہ اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ زیادہ امپرووومینٹ کر پائیں گے۔

پچھلے سال جب امریکہ سے گیہوں آیا اور مدراس میں گیہوں اترا تو آپ پہلے جو مینول لیبر کے ذریعے سے اترواتے تھے اس سے نہ اتروا کر میکینائزڈ طریقہ اپنایا گیا جس میں دس روپئے پرتی ٹن پورٹ کے لیبر بورڈ کو دینا پڑے گا۔ جب آپ مینول لیبر سے اترواتے تھے تو ۳۰۰۰ ٹن روز اترتا تھا لیکن جب میکینائزڈ طریقے سے اترنا شروع کیا تو ایک ہزار ٹن روز اتار پائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپئے کا آپ کو نقصان ہو گیا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے آپ نے ضرور کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہوگا اور اگر ٹھہرایا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا اس سلسلے میں کوئی انکوائری کی گئی ہے۔

ہوا ہے وہاں پر جو آپکا گیہوں کا اسٹور تھا - اس کی وجہ اس رپورٹ میں یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر گیہوں کو رکھا ہے بارش اور دھوپ کے اندر وہ کھلا رہا جس کی وجہ سے 19 کروڑ دس لاکھہ کا جو اناج وہاں پر تھا اس میں 13 کروڑ 29 لاکھہ کا نقصان آپکو ہوا - اس سے آپکو ریسپانسي بلیٹی فکس کرنی چاہئے تھی - اس کی ریسپانسی بلیٹی آپ نے کس پر فکس کی ہے -

دوسرا معاملہ ہے سبسڈی کا - آپکا 200 کروڑ روپیہ ورکنگ کیپیٹل جو آپ نے انی شیلی پرووائڈ کیا اور آپ جو ٹرانسپورٹیشن کوتے ہیں وہ قریب ساڑھے چھہ سات کروڑ کا - نتیجہ یہ ہے کہ باقی جو ہے سب آپکو لون لینا پڑتا ہے - جب آپ خریدتے ہیں تو اسکو اسٹور کیا جاتا ہے یعنی ایک طرح سے منی بلاک ہو جاتا ہے - پچھلے سال کا سود مجھے معلوم ہے اس سال کچھہ زیادہ ہو گیا - اس سال سات سو کروڑ روپئے کا آپکا سبسڈی بڑھا ہوا ہے -

پچھلے سال جو سبسڈی آپ دیتے تھے اس کا آدھا بھاگ بینک میں چلا جاتا تھا - قریب 186 پوائنٹ کچھہ کروڑ کا سود آپکا بینک

اسی طرح سے جموں کشمیر میں پچھلے سال بلکہ اسی سال سمجھہ لیجئے جو گیہوں کا گزرا ہے اس میں ایک کروڑ روپئے کا لاس ہوا - آپ نے کہا کہ وہاں پر ریلوے آتھورٹیز نے کوآپریٹ نہیں کیا اس لئے نقصان ہوا ہے - گورنمینٹ کی جوائنٹ ریسپونسبلٹی ہوتی ہے - ریلوے والوں پر آپ الزام لگاتے رہیں اور ریلوے والے آپ پر الزام لگاتے رہیں اور نقصان اس ملک کا جنتا کا ہوتا رہے -

اگر آپ اور ریلوے ایک ہی منسٹری میں رہنے والے لوگ تال میل کر کے نہیں چل سکتے ہیں تو اس ملک کو کیسے چلانے کا خواب دیکھتے ہیں - یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے - جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ شاید کوئی گورنمینٹ ہی نہیں ہے کوئی تال میل نہیں ہے - ہمیشہ دوسروں کے کندھے پر چلانے کی بات ہوتی ہے - ریلوے والے کہتے ہیں ایف - سی - آئی - نے کیا ہے اور ایف - سی - آئی - والے کہتے ہیں ریلوے نے کیا ہے - نتیجہ یہ ہے کہ کوئی حل نکالنے والا نہیں ہے -

گاندھی دھام گجرات میں آڈیٹر اور کمپٹرولر جنرل کی رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 13 کروڑ 29 لاکھہ کا لاس آپ کو

سب جگہ زیادہ ہے - دلی میں ۱۶۵ ہے - لیکن کلزیومر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے - کلزیومرس کو اسی پرائس پر مل رہا ہے - اگر آپ سبسڈی نہ بھی دیتے تب بھی ملتا آپ کی جو اکانومک کاسٹ ہے اس سے زیادہ قیمت پر اس کو اب بھی مل رہا ہے - اُتر پردیش تامل ناڈو بہار کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں -

رولر فاور ملز کو آپ دیتے ہیں سبسی ڈائزڈ ریٹس پر اور اس پر بھی آپ کو لاس ہو رہا ہے - یہ جو آپ ان کو گیہوں دیتے ہیں اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ کس طرح وہ بیچیں گی کس ریٹ پر بیچیں گی - ایکٹ میں پروائڈڈ ہے کہ خود کی آپ کو رولر ملز لگانی چاہئیں - اگر کسی وجہ سے آپ نہیں لگا پاتے ہیں تو ان پر آپ کا پورا کنٹرول تو ہونا چاہئے - پرائویٹ آدمی کو جو منافع اس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو بھی تو آپ کو دیکھنا چاہئے - پانچ چھ روپئے کا بیگ بھی آپ ان کو دے دیتے ہیں ساتھ میں یہ جو سورس ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اپنے لاس کو کم کر سکتے ہیں -

گلی بیگز والا اسکینڈل آپ نے پڑھا ہوگا - آپ تو خوب پڑھتے ہیں - رائس مل اونرس کے ساتھ کیا ہو رہا کو چلا جانا تھا - یہ اتنا بڑا آپکے ذریعے چلایا ہوا پرچیزنگ اور ڈسٹری بیوشن سینٹر ہے - اسکو اگر آپ دو سو کروڑ روپئے کی ڈمن راشی سے چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا جو جا رہا ہے ۱۸۶ کروڑ روپیہ انٹریسٹ کا جائے گا اور آپکا نقصان پورا نہیں ہوگا - پہلے تو دو سو ڈھائی سو شاید اب تین سو کروڑ روپئے کا ہو گیا ہوگا انٹریسٹ بینک کو جانا ہے -

دوسری بات جیسا آپ نے بتایا کہ آپ سبسڈی دیتے ہیں یہ بات صحیح ہے - سبسڈی دینی چاہئے کیونکہ کلزیومر بہت غریب ہے - ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے - کہیں کہیں تکونا سسٹم ہے اسکی وجہ سے سبسڈی کا فائدہ کلزیومر کو پہونچ رہا ہے یا نہیں آپکی اور اسٹیٹ کی الگ الگ ایجنسیاں ہیں - جس ریٹ پر اسٹیٹ کو دیتے ہیں اسٹیٹ کچھ نہیں کرتی - پروکیور آپ کرتے ہیں اسٹور آپ کرتے ہیں اور وہ ایک انسپیکٹر بیٹھا دیتی ہے - اسٹیٹ ایجنسیز پھر سے اپنا خوچہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا لگا کر جو کہ ۱۳ - ۱۴ روپئے بیٹھتا ہے فی کوئنٹل قیمت بڑھا دیتی ہے - کہیں پر ۱۸۲ پر مل رہا ہے اور کہیں پر ۱۷۴ یا ۱۷۶ پر - آپ کا ریٹ

ہے - بی اور سی بھگ ہوتے ہیں - سی بھگ سپلائی کر کے بی کی پرائس لی جاتی ہے - یہ کیوں - کون روکے گا اس کو -

بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آپ دیکھیں - چھہ نمائندے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے افسر ہوتے ہیں - چٹ بھی میری پٹ بھی میرا انٹا میرے باپ کا - کوئی رکاوٹ نہیں ہے - چیئرمین آپ کا مستقل ہونا چاہئیے - ڈائرکٹر آپ ایپوائنٹ کریں آپ نے شری رامچندرن کو ایپوائنٹ کیا تھا اور اب ان کو گورنر بنا دیا گیا ہے - پھر یہ ریورزشن ختم ہو گیا ہے -

پرچیزنگ سینٹر جو آپ کے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے - وہاں بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے - جن کو آپ وہاں خریدنے کے لئے بھیجتے ہیں ۱۴۰ روپیہ یا کسی بھی قیمت پر تین چار کلو پر کوئنٹل وہ ویسے ہی زیادہ لے لیتے ہیں - اس کے بعد جو ایک اور طریقہ وہ اپناتے ہیں وہ ریجیکٹ کرنے والا ہے - جب وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو بیچارہ کسان بڑا پریشان ہوتا ہے وہ خوشامد کرتا ہے - پھر وہ اس سے ۱۳۸ - ۱۳۹ میں خرید لیتے ہیں - اور وہیں منڈی میں جو آڑھتی ہوتا ہے اس کو ایجنٹ بنا لیتے ہیں - آپ اس کی انکوائری کروائیں - میں نے ۱۹۷۸ء میں ایک کیس آپ کو پکڑ کر دیا تھا - بعد میں اس کیس میں اس آدمی کو سسپینڈ بھی کیا گیا - مجھے پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا - ۱۳۸-۱۳۹ کے بھاو پر کسان کا جو گیہوں خریدا جاتا ہے اس کو ۱۴۲ کے بھاو پر آپ کے ہی سینٹر میں بعد میں لے لیا جاتا ہے - یہ جو تین چار روپئے ہیں جو یا تو آپ کو بچنے چاہئیں تھے یا جانے چاہئیں تھے کسان کو آپ میں سے کسی کو نہیں ملتے ہیں - اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہئے -

اب آپ چوری کے معاملے کو لیں - آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ۴ جولائی کو ۸۱ بیگز لے جاتا ہوا ایک ٹرک پکڑا گیا تھا یہ آپکے اسٹور سے لے جایا جا رہا تھا - کن کن کے خلاف آپ نے ایکشن لیا - کیا کوئی مزید آپ نے انکوائری کی - یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے دی ہے - جو نہیں پکڑا گیا وہ لاس میں گیا آپکو - اور جو پکڑا گیا وہ چوری آپ کہہ دیتے ہیں - تو ان کو روکیں -

دوسرے یہ کہ آپکے یہاں سول انجینیئرنگ محکمہ ہے اور انجینیئرس بھی ہیں لیکن اسکے باوجود بھی آپ سی - پی - ڈبلیو - ڈی - کو کنٹریکٹ دیتے ہیں عمارتیں بنانے کے لئے ایسا کیوں - آپکا یہ محکمہ

پھر کس لئے ہے - کیا یہ سارا پیسہ بیکار نہیں کر رہے ہیں -

تیسرے آپ نے کہا کہ نقصان کے لئے کونٹریکٹرس پر مقدمے چلائیں گے - کوئی بھی سال آپکا ایسا نہیں ہے جس ۵،۱ کروڑ سے زیادہ ڈیمریج میں خرچ نہ ہوا ہو - آپ کونٹریکٹرس ۱۴ دن کی جیل کرا دیں گے اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کرا سکتے - کونٹریکٹر بھی مزے میں اور آفیسرس بھی مزے میں - لیکن سفر کرے گی کارپوریشن - تو آپ بتائیں کتنے کانٹریکٹرس کے خلاف آپ نے کیسز چلائے ہیں اور کتنوں میں کامیابی ہوئی ہے اور کیا کرنے کا ارادہ ہے -

دوسرے یہ کہ آپ کے ڈیپارٹمینٹ کی بات نہیں ہے - بلکہ سبھی جگہ کرپشن بڑھ گیا ہے کیونکہ بقول پرائم منسٹر کے کرپشن انٹرنیشنل فینامینا ہے - آپ کے چیف ویجیلینس آفیسر کے خلاف یہ شکایت ہے کہ اس نے ہاؤس رینٹ الاؤنس غلط اور جھوٹی رسید کے اوپر لیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن آپ نے لیا ہے چیف ویجیلینس آفیسر کا کام کرپشن روکنے کا ہے کیا ایسا آدمی کرپشن روک سکتا ہے جس کا کیریکٹر خود ایسا ہو - ابھی ان کو ایکسٹینشن ملا ہے

آپ بتائیں کہ انہوں نے الجیبلیٹی ڈیٹ آف سروس میں کوئی گڑبڑی کی ہے -]

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैडम चेयरमैन, माननीय रशीद मसूद साहब ने आधे घण्टे का जो डिस्कशन आप से मांगा वह इस बिना पर था कि एक सवाल इन्होंने किया था उसके जवाब से इन्हें तसल्ली नहीं हुई।

श्री रशीद मसूद : उसी का जवाब पूछा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन आपने उस सवाल से बाहर पूछा। जो स्पेसिफिक केसेज उन्होंने बताये कि फलां जगह चोरी हुई तो उसका क्या हुआ? फलां जगह अनाज गल, सड़ गया उसका क्या हुआ? इसके लिये आप अलग से सवाल करेंगे तो पूरी जानकारी हासिल करके दूंगा। इन सारे सवालात का जवाब इस वक्त मुमकिन नहीं है। कौन-कौन से आदमी हैं, किनके खिलाफ मुकदमे चले, किसको सजा मिली कौन बरी हो गये, इन तमाम सवालात के लिए आप अलग से पूछेंगे तो मैं जानकारी दूंगा। कोरपोरेशन आटोनामस है, सरकार का काम उसको पालिसी देना है। और कहीं अगर शिकायत हो तो उसकी जांच कराना यह हमारा काम है। सी० ओ० पी० यू० भी उसके हिसाब किताब की जांच पड़ताल हमेशा करती रहती है।

श्री रशीद मसूद : अपोइंटमेंट नहीं हुआ चेयरमैन का ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अब वह गवर्नर हो गये तो आपको खुशी होनी चाहिये। अच्छा काम ही किया होगा जो गवर्नर बने। और

अच्छे चेयरमैन को तलाश किया जायगा। तो यह तो आप मानेंगे जैसी यह अहम कारपोरेशन है कोई भी कारपोरेशन है, उसमें बड़ा तलाश करके, सोच समझ कर चेयरमैन बनाना चाहिए। यों ही पकड़कर यदि किसी को चेयरमैन बना देंगे, 24 घण्टे में तो आप को ज्यादा शिकायतें होंगी। फिर, सरकारी अफसरों की जितनी जिम्मेदारी होती है, नान सरकारी अफसरों की उस से कम जिम्मेदारियां तो होती नहीं हैं। यदि कोई आफिसर्स उसके अन्दर थे, काम कर रहे थे तो वे भी पूरी तरह सरकार के सामने जबावदेह थे। हर मामले में उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही थी जितनी सरकारी आफिसर की होती है। उनको भी पकड़ा जा सकता है, उनको सजा भी दी जा सकती है। इसलिए आपने जो सवाल किया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। वैसे मैं उस रोज हाजिर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था लेकिन मेरे साथी ने आपको उत्तर दिया था।

श्री रशीद मसूद : सारी गड़बड़ तो उसी से हुई है ...

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन बात तो सिर्फ समझने और समझाने की थी। गड़बड़ कोई नहीं हुई थी लेकिन जो सवाल आपने किया था, उसको देखते हुए किसी को भी यह पता नहीं लगा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आपने पूछा कि एफ. सी. आई. को इतना भारी घाटा क्यों पड़ता है, क्यों इतना नुकसान होता है। इसलिए नुकसान में सब कुछ शामिल हो जाता है।

श्री रशीद मसूद : उसके रीजन क्या हैं, क्यों घाटा होता है

राव बीरेन्द्र सिंह : जो बात आपने पूछी थी, उसका उत्तर आपको दे दिया गया। उसका मतलब हम यह समझे कि भारत सरकार एफ. सी. आई. को कितना पैसा घाटे के लिए देती है ...

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : आप मतलब ही गलत समझ गये...

राव बीरेन्द्र सिंह : उसका उत्तर हमने दे दिया कि लगभग 700 करोड़ रुपये हम देते हैं। अब उससे कुछ कम भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। इतनी सब्सीडी आप बजट में मजूर करते हैं जो रकम एफ. सी आई. को दी जाती है। फिर एफ.सी.आई. कोई कामर्शियल आर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें किसी तरह के घाटे का सवाल पैदा हो। एफ. सी. आई. तो एक सर्विस आर्गेनाइजेशन है जो अनाज को एक बार जमा करके फिर तकसीम करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और बाकी सरकार के काम करता है। यह आपने खुद माना है कि जब कोई चीज सबसीडाइज्ड रेट पर देनी पड़ेगी तो उसमें घाटा पड़ेगा। वह घाटा बर्दाश्त करने के लिए भी यह पार्लियामेंट मंजूरी देती है, आप भी उसकी इजाजत देते हैं।

जहां तक आपका प्रश्न है, कि इसकी जो कास्ट है, उसको कुछ घटाया जाए ताकि सब्सीडी की अमाउन्ट कम हो जाए और भारत सरकार की तरफ से एफ० सी० आई० जितनी अनाज की डिस्पर्समेंट करती है वह कुछ कम हो जाए, तो आपकी वह बात बिल्कुल माकूल है। आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार को और एफ० सी० आई० को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि इसकी कास्ट ज्यादा न बढ़े। वैसे मैं आप को कई बार बता चुका हूं कि किस-किस मद पर हमारी कितनी कास्ट ऊपर से लग जाती है। एफ० सी० आई० जो अनाज इश्यू करती है, उस पर भारत सरकार को एक क्विंटल पर लगभग एवरेज 40 रुपये

[राव बीरेन्द्र सिह]

का घाटा उठाना पड़ता है। यदि आप यह कहें कि यह एफ० सी० आई० की बदइंतजामी की वजह से होता है, तो आपकी वह धारणा बिल्कुल गलत है।

श्री रशीद मसूद : फिर आप हमें समझाइये कि घाटा इतना कैसे होता है ....

राव बीरेन्द्र सिह : यदि आप उन सब चीजों की अलग-अलग ब्रेक-अप जानना चाहें तो मैं आपको ब्रेक-अप दे सकता हूं। अनाज को प्रोक्योरमैंट के बाद मण्डी चार्जेज देने पड़ते हैं, सेल्स टैक्स, स्टोरेज चार्जेज, इंटरेस्ट चार्जेज देने पड़ते हैं और उसके बाद मण्डी की लेबर चार्जेज, हैंडलिंग और फार्वर्डिंग चार्जेज लगते हैं और कुछ इंटरनल मूवमैंट भी होती है। फिर वहां की लोकल इस्टैब्लिशमैंट और एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज भी लगते हैं, जहां प्रोक्योरमैंट की जाती है। फिर कुछ दूसरे चार्जेज भी होते हैं। यदि इन सारे चार्जेज को मिलाकर एक क्विंटल व्हीट पर आप एवरेज खर्च निकालें तो वह 21 रुपया 31 पैसे आता है। यदि आप इन खर्चों में कमी लाना चाहते हैं तो स्टेट्स को कहिए कि वे ड्यूटी न लें, आप हमें फ्री लेबर सप्लाई कीजिए, गोदाम हमें फ्री दिलवा दीजिए, पैसा बगैर इंटरेस्ट के दिलवा दीजिए, तो फिर इतने ऊपर के खर्च नहीं आयेंगे। इसलिए यह तो समझने की बात है क्योंकि ये चार्जेज ऐसे हैं जिनको कोई घटा नहीं सकता है। यह तो जरूर देने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके साथियों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि ऊपर का खर्च बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमें बहुत बारीकी से देखना पडेगा। यह गेहूं पर खर्चा आता है। पैडी पर कुछ कम आता है, + 16.69 रुपए और राइस पर इससे भी कम आता है 10.05 रुपए पर क्विंटल।

श्री रशीद मसूद : मैंने बतलाया था कि कहां-कहां ऐसा नुकसान हो रहा है जिसको कि आप रोक सकते हैं। उसको आप बतलाइये।

राव बीरेन्द्र सिह : आपकी जितनी बात सही है उसको तो मैं मानता हूँ। आपने कहा था ब्रेक-अप बताइये तो मैं वह बता रहा हूँ। नहीं जानना चाहते हैं तो छोड़ देता हूं।

मैं हाउस की तसल्ली के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो प्रोक्योरमैन्ट कास्ट है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट भी होती है। इसमें ट्रांसिट भी सारे मुल्क में कहां से कहां करना पड़ता है और सारे देश में एक रेट पर इश्यु करना पड़ता है। इतना लम्बा-चौड़ा मुल्क है। फिर स्टोरेज भी साल भर की चलती है। 15-20 मिलियन टन अनाज की देख-भाल करना, दवाई छिड़कना, उसकी चौकीदारी करना, गोदाम का किराया, फ्रेट, रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट के गोडाउन्स के चार्जेज, इन्ट्रस्ट चार्जेज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज, यह सारी बातें होती है। एफ. सी. आई. के एक क्विंटल पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज 2 रुपए 13 पैसे होते हैं। यह किस हद तक घटाया जा सकता है, इसके बारे में आप कह सकते हैं। इसको घटाने की कोशिश सरकार को हमेशा करनी चाहिए।

श्री रशीद मसूद : यह सब चीजें तो ठीक हैं लेकिन अमरीका से जो गेहूं आपके पास आया उसके अनलोडिंग में 1 करोड़ 40 लाख का लॉस हुआ—क्या यह सही नहीं है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसको रोका नहीं जा सकता तो कम जरूर किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

इसमें कुछ लासेज ऐसे हैं जो गल्ले के सड़ने से, कीड़ा लगने से या खराब हो जाने से होता है चूहों के खाने से भी लास होता है और इन्सान भी चुरा लेते हैं। इस तरह से मौसम, बारिश, कीड़े वगैरह से गेहूँ और चावल में मिलाकर साल भर में छः करोड़ का नुकसान होता है।

जो बाकी के लासेज हैं उसमें हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उनको घटाया जाए। मैंने पिछले साल एफ सी आई को डायरेक्शन दिया था कि स्टोरेज और ट्रांजिट पर अगर एक परसेन्ट से ज्यादा का लास होगा (1 परसेन्ट गेहूं पर और 1.45 परसेन्ट चावल पर) तो उसको भारत सरकार रिइम्बस नहीं करेगी। हमारे लिहाज़ से यह लास काफी ज्यादा है। और जितनी चोरी होती है वह दो किस्म की है। आपने चार किस्म की चोरियां बताई हैं लेकिन मैं मोटी मोटी दो कैटेगरीज़ बताता हूँ। एक तो चोरी ऐसी होती है जिसमें पकड़ हो सकती है, यानी गोदाम पर हमला हो गया और चोरी हो गई। चोर को पकड़ लिया या नहीं भी पकड़ा और उसकी इंक्वायरी की गई। इस प्रकार की चोरी से 1980-81 में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए जिन पर मुकदमे चल रहे हैं या डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जा रही है। अभी कुछ समय पहले हमने यहां पर जो संशोधन पेश किया था उसको आपने मंजूर किया है कि एफ. सी. आई. के मुलाज़िमों को दूसरी बार नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनको एक बार ही चार्जशीट देकर उनकी छुट्टी कर दी जाए। लेकिन फिर वे लोग आपके पास पहुँचेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री रशीद मसूद : पहली बार आप हमसे इत्तफाक करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप तो पहले ही चले गए थे। मैंने बहुत सी चीजों से इत्तफाक किया था।

तो इस तरह से जो चोरियां होती हैं उनको रोकने के लिए विजिलेन्स को सख्त किया जा सकता है। हमारे पास अभी स्टाफ की भी कमी है। मैं एफ० सी० आई० के आफिसर्स से पूछ रहा था कि विजिलेन्स का स्टाफ आप क्यों नहीं बढ़ाते। अभी कुछ आफिसर्स यहां और कुछ रीजनल आफिसेज में हैं वे क्या काम करेंगे? लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ज्यादा स्टाफ लगा दें तो हो सकता है वे एफ. सी. आई. के सेट-अप का एक अंग बन जायें। मैं इस बात को सोच रहा था कि अच्छे आदमियों को, फौजियों को, चोरी पकड़ने के काम पर लगाया जाए। मैंने इसके लिए एफ. सी. आई. को सुझाव दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ विजिलेंस की सख्ती बढ़े।

लेकिन जैसा मैंने बताया कि ट्रांसिट और स्टोरेज के जो लासेज हैं, वह करीब सौ करोड़ के करीब हैं। आप चाहें तो मैं इसकी तलफसी बता सकता हूँ। ये लासेज भी अब घट रहे हैं। 1980-81 में 14.56 मिलियन टन (फूडग्रेन, शूगर, फर्टिलाइजर) की मूवमेंट थी। 14.56 मिलियन टन जो डेमरेज हमने घटाया वह भी लास था। वह होते-होते 1.1 परसेंट पर आया। डेमरेज का लास एफ.सी.आई. को देना पड़ता है। उससे पहले साल 1.16 परसेंट था, लेकिन अब

[राव बीरेन्द्र सिंह]

1.1 परसेन्ट पर आ गया है। उसी तरह से दूसरी चीजों में भी लॉसेस घटाने की कोशिश कर रहे हैं। टोअल क्वांटिटी पिछले सालों में मूव हुई है, उसका ब्योरा आपको मैंने दे दिया था। उसमें 1 98 परसेंट ट्रांसिट में शार्टेज थी और 0.82 परसेंट स्टोरेज में लॉस हुआ। ये फिगर्ज 1980-81 के हैं। इससे पहले क्वान्टिटी कुछ कम थी, उसी हिसाब से कम लॉस हुआ। डेमरेज से लॉस होने की कई बजूहात हैं। मसलन एक रेक किसी स्टेशन पर जाता है। उस रेक में 75 वैगन हैं। रेलवे के कायदे के मुताबिक उस रेक को अनलोड करने के लिए 5 घण्टे से 10 घण्टे तक मिलते हैं। एक वैगन को खाली करने के लिए एक मिन्ट में शायद 30 बैग अनलोड करने पड़ते हैं। अगर 30 बैग फी मिनट अनलोड न किए जाएं तो वह वैगन खाली नहीं होता है। बाज दफा एक वैगन भी अगर अनलोड होने से रह जाता है, तो डेमरेज पूरे रेक का देना पड़ता है। गवर्नमेंट का पैसा एक जगह से आता है और दूसरी जगह चला जाता है—वह गवर्नमेंट के अन्दर ही रहता है।

इसमें रेलवे वाले क्या करें ? उनके कायदे बने हुए हैं। मैं कैसे कहूँ कि वह डेमरेज चार्ज न करे ? जो कायदा वह दूसरों के साथ रखते हैं, कार्पोरेशन से साथ भी वही कायदा रखना पड़ता है—और रखना चाहिए, वर्ना कार्पोरेशन और ढीली हो जाएगी। इस कायदे की वजह से ही ये बातें माननीय सदस्यों की निगाह में आ जाती हैं। मैंने बताया है कि गोदाम और ट्रांसिट में इस तरह लॉसिज हुए हैं। स्टोरेज में सन् 1980-81 के अन्दर 2 लाख 82 हजार टन का लॉस हुआ था। ट्रांसिट के अन्दर 3 लाख 76 हजार टन का लॉस हुआ है। में लॉसेज कहां होते हैं, यह बहुत सी जगहों पर होते हैं। चोरी बेशुमार होती है। जहां से परचेज शुरू होती है, वहीं से चोरी शुरू हो जाती है। खुरपा मार कर बोरियों से निकाल लेते हैं। मण्डियों में काफी दिनों तक पड़ा रहता है। उस जगह पर विजिलेंस बहुत जरूरी है। गोदामों में रखते वक्त चोरी हो जाती है, लोडिंग करते वक्त हो जाती हैं। कई केसेस ऐसे पकड़े गए हैं कि वैगनों के अन्दर बोरियां रख कर सील कर दिया जाता है और डैस्टिनेशन पर पहुँचने पर सील टूटी मिलती है। लॉस भी होता है। इस बारे में रेलवे मिनिस्ट्री से भी बातचीत की है। कहा है कि रेलवे की जिम्मेदारी और एफ० सी० आई० की साथ में जिम्मेदारी हो। ताकि रेलवे यह न कह सके कि एफ० सी० आई० की वजह से हो गया और एफ० सी० आई० यह न कह सके कि रेलवे की वजह से चोरी हो गई। सील करके दोनों डिपार्टमेंट के लोगों के दस्तखत होने चाहिएं, ताकि रेलवे की भी पूरी जिम्मेदारी हो जाए। मैं यह तो मानता हूं कि चोरियां होती हैं वरना इतना जबरदस्त लॉस क्यों होता।

कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं, जैसे चावल है। वह छः परसेंट सूखने की वजह से घट जाता है। इस पर आप बहस करें कि साहब नहीं पांच परसेंट घटना चाहिए या 4 परसेंट घटना चाहिये। मैं इतना काबिल नहीं हूं, लेकिन मुख्तलिफ़ कमेटी ने जांच की है, एक्सपर्ट ने देखा है कि चावल सूखने से काफी कम हो जाता है। जो घट जाता है, वह लास भी इसके अन्दर है। जैसा मैंने बताया है कि गेहूँ एक ऐसी चीज है, जिसका हमारी निगाह में नुकसान नहीं होना चाहिए। गेहूं कहीं सूखता है, तो कहीं पर नमी से उसका वजन बढ़ भी जाता है। वह बराबर चलना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि चोरी कर

जाते हैं और कहते हैं कि सूखने से कम हो गया। इसके लिए भी मैंने डिपाटमेंट और एफ०सी०आई० को कहा है कि इसमें सख्ती से जांच करें और निगाह रखें कि गेहूँ जैसी चीज क्यों कम हो जाती है। गेहूं अगर कहीं नार्थ ईस्टर्न रीजन में जाता है, तो वहां बारिश ज्यादा होने की वजह से बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां भी गोदामों में रखा-रखा सूख जाता है। दूसरे इसमें धांधली चलती है, उसपर काफी गुंजाइश है, इसको इम्प्रूव करने की। मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूं। कोशिश कर रहा हूं कि कि एफ० सी० आई० के काम को बेहतर बनाया जाए। आफिसरों को वक्तन-फवक्तन हिदायतें दी जाती हैं। मैं तो इस बात को कहने में भी नहीं हिचकिचाता हूं कि यदि इस प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा, तो मैंने कहा है कि एक-एक करके सबको डिसमिस करूंगा। उनको नोटिस दे दे कर छुट्टी करूंगा, तीन महीने की तनख्वाह वे ले जायेंगे। लेकिन गन्दगी तो निकलेगी। लेकिन आप के साथी कुछ उधर बैठे हैं, वहां पर यूनियनें सताना शुरू कर देती हैं। जितना ज्यादा इम्पलायमेंट किसी कारपोरेशन में होगा, उसकी यूनियन उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। यही मुसीबत टेलीफोन वालों के सामने आ रही है। गनी खां चौधरी जी को भी इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा। एफ० सी० आई० में भी कई बार हड़तालें हुई हैं, जिसकी वजह से काम रुका है। इसलिए यूनियनों के साथ निपटने के लिए भी आपका हमें सहयोग चाहिए। यदि सी० पी० एम० के लोग बैठे हुए होते, तो मैं उनसे कहता कि आप रशीद मसूद साहब का भाषण सुन लें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ऊपर के बड़े अफसरों को ठीक करिए, तो ठीक हो जाएगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : बड़े आफिसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हमारे पास काफी अख्तियारात हैं। सही बात यह है कि नीचे के एम्पलाइज के खिलाफ कार्यवाही करने में दिक्कत पड़ती है। लेबर कोर्ट्स हैं, कंसीलियेशन का मामला है, कहीं लेबर इंस्पेक्टर आ जाते हैं, कहीं काम बन्द हो जाता है, अनाज नहीं भेजा जाता है। हम चाहते हैं कि गन्दे आदमियों को ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन उस पर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि किसी अच्छे आदमी को वहां लगाया जाए, प्रोमोशन देकर लगाया जाए या डाइरेक्ट रिक्रूट करके लगाया जाए लेकिन लोग करने नहीं देते। ये सारी मुसीबतें हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी में ऐसे मामलों में जो गवर्नमेंट को कठिनाइयां होती हैं उनको आपको एप्रीशियेट करना चाहिए। सरकार की तरफ से अपनी कोई कमी नहीं है, न कोई कोताही है। हम इन चीजों से नावाकिफ नहीं हैं, हम बहुत सी चीजों से वाकिफ हैं। लेकिन किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जा सकता है, उसमें आपके सहयोग और आपकी इन्फर्मेशन का भी हम पूरा फायदा उठायेंगे। आज की जो बहस हुई है उसका भी हम फायदा उठायेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदया, सब से पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की दाद देना चाहता हूं जो उन्होंने बड़ी चतुराई से 11 अक्टूबर के प्रश्न का उत्तर दिया। सवाल यह था—

> "Whether the Government are aware that the Food Corporation of India has been incurring huge losses during the last five year.

इन्होंने सीधे यह कहा कि यह कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है जिसमें लॉस होते हों।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

जब उनसे पूछा गया तो बराबर बताते गए कि ये ये लास हैं। मेरा मतलब है कि हमारी बात उनको अब समझ में आयी। उस वक्त तो वे कन्नी काट गए। यह व्यापारिक संस्थान नहीं है। यह नो प्राफिट, नो लास पर चलने वाला संस्थान है। यह खाने के लिए काम करता है इसके मायने यही हैं कि इस संस्थान में वह लाभ नहीं हो सकता है जो कि एक व्यापारिक संस्थान में हो सकता है।

अब ये जवाब दे रहे हैं कि ये लास हैं। अब लास को ही तो नुकसान कहेंगे। अब यह नुकसान चाहे धोखाधड़ी से हो, चाहे चोरी से हो। जो भी यह लास होता है उसको नुकसान ही तो कहेंगे। आपने घटिया डिग्री का चावल और गेहूं खरीद लिया, उससे आपको लास हुआ तो उसको भी नुकसान कहेंगे। इस सबको और क्या कह सकते हैं ? इसके लिए कोई और शब्द तो है नहीं।

हमारा मतलब यह भी है कि जो इसमें अधिक खर्चा हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। जो गलत तरीके से व्यय हो रहा है, उसको रोक कर करोड़ों रुपये बचाये जा सकते हैं। यह हमारा मतलब है। आपने अपने बयान में कहा कि पांच साल में 8 करोड़ 36 लाख रुपये का डेमरेज दिया। अगर आप इनता डेमरेज देकर परसेन्टेज से खुश होना चाहते हैं तो बात दूसरी है। यह डेमरेज कम से कम होना चाहिए था। डेमरेज रेलवे की लापरवाही से तो नहीं दिया जाता है, अपनी लापरवाही से दिया जाता है। अगर रेलवे स्टेशन पर माल आकर खड़ा हो गया है और डिब्बों से माल नहीं उतारा गया है तो रेलवे को डेमरेज देना पड़ेगा। इसमें तो रेलवे की लापरवाही हो सकती है कि माल स्टेशन पर पड़ा है और वह डिब्बों में लादा नहीं जा रहा है जिसके कारण वह खराब हो रहा है। वहां वह रेलवे की वजह से हमारा नुकसान हुआ, लेकिन यह प्योर डेमरेज छुड़ाने वाले की ड्यूटी है जो देर से छुड़ाने के लिए जाएगा, उसको डेमरेज देना होगा। आप एक परसेंट, डेढ़ परसेंट की बात कर रहे हैं। आप 16-12-81 का ट्रिब्यून देखिए। इसमें बताया गया है लास इन ट्रांजिट 1978-79 में 28.68 करोड़, 1979-80 में 41.40 करोड़, 1980-81 में 59 करोड़। यह तीन साल का खाली ट्रांजिट का लास है व्हीट, राइस और शूगर का। यह बात मैंने क्यों कही है ? आप देखिए—

> "Some loss of foodgrains during transit by road and rail is inevitable because of the vegaries of the weather, the use of open wagons and of course, pilferage But the losses incurred by the Food Corporation of India on this account were scandalous."

उनका कहना है कि यह जो रेलवे की वजह से नुकसान हुआ कहीं ट्रांजिट में तो उसको भी आपको रेलवे देती है, आपका नुकसान कवर कर देती है। कहीं अगर आपकी सौ बोरी चोरी हो गई हैं तो आप क्लेम कर दीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। इसमें मिला है आपको—

> "The Railways have paid only Rs. 25 lakhs and Rs. 18 lakhs respectively as compensation in the years 1979-80 and 1980-81."

इसका मतलब यह है कि 25 लाख रुपया रेलवे से आपको मिला है, उसने 25 लाख का आपका नुकसान माना है, बाकी ट्रांजिट में चोरी है. करोड़ों रुपए की, जो मैंने आपको बताई है। 28.60 करोड़ में से मिला 25 लाख।

बाकी नुकसान सब चोरी का है। मैंने तीन साल की बात आपको बता दी। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो देर लगेगी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं —

HINDUSTAN TIMES dated 14-2-81 : "Fourteen held including some officers of FCI for wheat pilferage : They pilfered wheat worth Rs. 4 lakhs from Patti Railway Station near Amritsar and a godown at Roopnagar".

पेट्रियाट 12-3-81 "रैकेट इन व्हीट एण्ड राइस" इसमें राज्य सभा में आपने एडमिट किया है कि लाखों रुपए का नुकसान इन लोगों ने किया, जिसके लिए 15 एफ. सी. आई. के और मार्कफेड के आफिसर्स को अरेस्ट किया गया।

TIMES OF INDIA 7-7-81 : "A dispute between J & K Food & Civil Supplies department and F. C. I. has cropped in over the quality of rice as substandard."

HINDUSTAN TIMES 15-7-81 : "A former senior officer of the Regional Food Corporation has been suspended for the alleged purchase of over 35,000 tonnes of rice worth Rs. 6.28 crores in Shahjahanpur."

पूरनपुर मेरी कांस्टीच्यूएंसी में है, दो साल तक वहां खुले में आपका गेहूं पड़ा रहा। जब मैंने यहां शोर मचाया तब उसके बाद उठा। इस तरह से नुकसान हुआ। बीसलपुर में हजारों बोरी चावल प्राइवेट गोदामों में बंद कर दिया। ढाई साल तक नहीं उठाया। जब मैंने 377 में मामला उठाया तब आपने गोदाम खाली करवाए। आप जानते हैं कि प्राइवेट गोदाम कैसे होते हैं, सब खराब हो गया। इस तरह के नुकसान की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE INDIAN EXPRESS, Delhi Edition, of 8-4-82 says :

"6 FCI Officers suspended and directed to leave Udaipur."

THE STATESMAN of Delhi, dated 1-5-82 says :

"Grain worth Rs. 1 crore damaged at Jammu."

THE TRIBUNE, Chandigarh, dated 18-7-82 says :

"Gunny bag scandal rocks FCI."

"बी" की बजाय "सी" बैग का प्रयोग किया गया। डेढ़ लाख रुपए महीने की हानि हुई आपको इसमें।

THE HINDUSTAN TIMES, dated 21-7-82 says :

"Racket in wheat unearthed. An organised racket of destroying huge stocks of wheat."

THE PATRIOT, New Delhi, dated 2-8-82 says :

"Case against corrupt FCI officer closed."

"Central Vigilance Commission took exception."

जो गड़बड़ी करने वाला अफसर था, उसका केस कलोज कर दिया।

THE INDIAN EXPRESS, Delhi, dated 31-8-82 says :

"Rs. 13 crore worth wheat lost. This wheat—5.08 lakh tonnes—was stored at Gandhi Dham Complex.

This is the Report of the Comptroller and Auditor General of India.

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

THE TIMES OF INDIA, dated 14-8-82 says :

"Rice sample from FCI godown found adulterated."

ये हैडिंग्स मैंने सुना दी हैं। यह सब बताने का मतलब यह है कि श्रीमन् यह व्यापारिक संस्थान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से व्यापारी अपनी दुकान में बैठकर बंगलिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, वैसे ही एफ० सी० आई० कर रहा है यानी उसके आफिसर्स कर रहे हैं। आप कह देंगे कि हमारा कारोबार बहुत लम्बा है, इधर से उधर ले जाते हैं, कुछ न कुछ तो होगा ही। हमारा देश गरीब है जिसमें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स हम रोज लगाते जा रहे हैं इसलिए हमें आप जैसे आदमी से यह उम्मीद है कि इसे आप सही करके ही मानेंगे और अगले साल हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप इसको देखें कि इसको रोकने का उपाय क्या करेंगे। क्या कोई विजीलेंस बैठायेंगे, कुछ अफसरों को बढ़ायेंगे, उनको प्रोमोशन देंगे, घटिया अफसरों को निकालेंगे तो आप इसमें क्या निर्णय लेंगे ? पिछले महीने 10 करोड़ का गेहूं खराब हो गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप तजवीज दीजिए, उसको देखकर बतायेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपके विचार इस संबंध में जानना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, एफ० सी० आई० के इस लास को रोकने के लिए। देश का काश्तकार खून और पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है।

मैं इन सब बातों में आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि आप इसके लिए क्या करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय गंगवार जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। मैं आशा करता हूं कि इस भ्रष्ट संस्था में मंत्री जी कुछ सुधार करेंगे। अपने कार्यकाल में कृषि मंत्री अगर इस एक संस्था में सुधार कर दें तो यह उनकी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

एफ. सी. आई. लापरवाही और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। जो कुछ कहा जा रहा है उससे हर व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता है कि यह लापरवाही और भ्रष्टाचार का अड्डा है। एक अखबार निकलता है दिल्ली से वीकली या फोर्टनाइटली जिस का नाम है "प्रचंड"। यह 12 अगस्त 1982 का अखबार है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको वह पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार इस सस्था में है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी पढ़ें तो उनको भी इसका पता चल जाएगा। इसको मैं अपने एक पत्र के साथ आपको भेजने भी वाला हूं। इसको मैंने इसी वास्ते रोके रखा था कि चर्चा हो जाए और मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ इस में निकला है। अब एक दो दिन में इसको मैं आपके पास भेज दूंगा। इसमें हैडिंग ही यह निकला है "सफेदपोश डकैतों का चारागाह—भारतीय खाद्य निगम" कितना इसमें भ्रष्टाचार है इसका विवरण आपको इसमें मिल जाएगा। इस निगम के जो भूतपूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कई मामलों में जांच के आदेश दिए थे किन्तु उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भ्रष्टाचारी तत्वों से हाथ मिलाकर उन मामलों को प्रकाश में नहीं आने दिया। यह आरोप भी इसमें लगाया गया है।

बहुत से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच कराई जा रही थी, जिसे रोक दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, यह आप बताएं।

इसमें यह भी निकला है कि जबलपुर में चावल और गेहूं की खरीद करने वाले अनेक अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। उनकी जांच होनी चाहिए।

यहां हमारे एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए पीछे कहा था कि एफ०सी०आई० न रह करके यह फ्राड कारपोरेशन आफ इण्डिया हो गया है। मेरे साथ वह बात इसके बारे में कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि आप इस बात को यहां कहिये। उन्होंने कही भी थी।

गोदामों की हालत यह है कि चावल और गेहूं का सड़ना आम बात हो गई है। पंजाब में तरनतारन में इस तरह की बात हुई है। जो सड़ा हुआ गेहूं या चावल होता है उसे अच्छे चावल में या गेहूं में मिला कर लोगों को खाने के लिए बेच दिया जाता है। जिस गेहूं को या चावल को जानवर भी नहीं खाते हैं उसको आदमियों के खाने के लिए एफ. सी. आई. के लोग दे देते हैं। इस प्रकार से वह देश के लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, यह उनकी देश भक्ति का, देश प्रेम का नमूना है। राजनीतिज्ञों को तो सभी कहते हैं कि भ्रष्ट हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है वह सारे देश के सामने आ जाता है, उसकी हर कोई आलोचना भी कर लेता है, उसको देख भी लेता है, लेकिन इन लोगों का इतना चारित्रिक पतन हो चुका है, इतना नैतिक ह्रास हो चुका है कि गरीब लोगों को सड़ा हुआ गेहूँ और चावल राशन में देते हैं।

मंडला जिले के गोदाम में एक हजार बोरी चीनी रखने की क्षमता है किन्तु 2500 बोरी चीनी रखने की क्षमता दिखा कर सम्बन्धित ठेकेदार को पैसा दिया जाता है, गोदाम का किराया दिया जाता है उस व्यक्ति को जिससे यह गोदाम किराए पर लिया गया है। इसका उल्लेख भी इस अखबार में है।

मंडला जिले में डिंडोरी तहसील मुख्यालय में खाद्य निगम का बहुचर्चित घोटाला कांड मशहूर है। चार लाख रुपये कीमत की 518 बोरी चीनी चोरी करके खुले बाजार में बेच दी गई।

इस प्रकार की चोरबाजारी, भ्रष्टाचार एफ०सी०आई० के बड़े-बड़े अधिकारियों की सहमति के बगैर नहीं हो सकती है। छोटे कर्मचारियों का जहां तक सम्बन्ध है वे तो छोटी-मोटी गलती कर देते होंगे। वे यूनियन बना कर तमाम परेशानी भी पैदा कर देते होंगे जिसकी बात आप अभी कह रहे थे किन्तु वे ज्यादा गड़बड़ी नहीं करते हैं। छोटी मोटी ही करते हैं। लेकिन बड़े अधिकारी उनको कुचलने के लिए तरह-तरह की साजिशें करते हैं। बड़े-बड़े घोटाले, डकैतियां, चोरबाजारी जो चल रही है इनमें जब तक वरिष्ठ अधिकारी संलग्न न हों, तब तक यह काम नहीं हो सकता है।

मसूद साहब ने कहा कि कोई चीफ विजिलेंस अफसर एफ. सी. आई. के हैं और उन्होंने गलत रसीदें दिखा कर हाउस रेंट एलाउंस ले लिया। यह बड़े-बड़े अफसरों की हालत है। इस सब की जांच होनी चाहिये और उचित कार्रवाई होनी चाहिये। पी० यू० सी० ने जो आपको रिपोर्ट दिया था, मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें

[श्री हरिकेश बहादुर]

कि उस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। सम्भवतः वह 22वीं रिपोर्ट है। उसमें कई बातें कमेटी ने सुझायी थीं और इस आर्गेनाइजेशन की बहुत सी खामियों का भी पर्दाफाश किया था। मैं उस समिति का सदस्य था इसलिये उसके बारे में अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन आप उस रिपोर्ट को अवश्य देखें और बतायें कि उस रिपोर्ट पर सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ताकि भ्रष्टाचार और कमियों को दूर किया जा सके। यही जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, मेरे साथियों ने बहुत से प्रश्न पूछ लिये हैं इसलिये मैं नहीं चाहता कि उनको दोहराऊं। यह बात तो अवश्य है कि खाद्य निगम हमारे देश की बड़ी सेवा कर रहा है। आज अगर खाद्य निगम नहीं होता तो बफर स्टाक रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चलना असम्भव था। इसलिये यह संस्था अच्छी सेवा कर रही है और उद्देश्य भी अच्छा है। जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं यह हर विभाग में होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि एफ० सी० आई० में ही भ्रष्टाचार है और दूसरे विभागों में नहीं है।

18.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

पी० डब्ल्यू० डी० में भी है। परन्तु हमें देखना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विभाग है जिसके बारे में आपने भी कहा कि ट्रांसिट में 3 लाख टन अनाज का लास हो जाता है और स्टोरिंग में 2 लाख टन अनाज का लास हो जाता है। इतने बड़े लास को हमें कम करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में अवश्य ठोस कदम उठायेंगे। विशेषतौर से मुझे यह कहना है कि जिस समय प्रोक्योर करते हैं उस समय किसानों का, जो बेचारे गरीब किसान बेचने के लिये अपना अनाज लाते हैं, शोषण किया जाता है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। यद्यपि आपने सपोर्ट प्राइस 142 रु० फिक्स की है परन्तु उनको वह नहीं मिलती क्योंकि उनको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं, उनसे डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं बल्कि महाजनों के जरिये खरीदते हैं जो एफ० सी० आई० के एजेन्ट होते हैं। और महाजन 142 रु० की जगह उन गरीब किसानों को 130 रु० या 132 रु० का भाव ही देते हैं जिससे किसानों को सपोर्ट प्राइस का लाभ नहीं पहुँचता है। किसानों को 142 रु० दाम मिलें इस बारे में आप क्या कर रहे हैं ? यह जो प्रश्न उठा था, जनता पार्टी के समय में भी और श्री आर० आर० मोरारका, जो लोक सभा के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया और अपना शासन आ गया। जब आप खुद महसूस करते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, नुकसान अधिक हो रहा है ... आप खुद यह महसूस करते हैं कि इसके लिए विजिलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। विजिलेंस के काम के लिए जितने अधिकारी होने चाहिएं, उतने अधिकारी नहीं हैं। इसलिए उचित मात्रा में विजिलेंस विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और वह समिति पूरी तरह से इस मामले में जांच करे कि प्रोक्योरमेंट के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, स्टोरेज के मामले में, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में और अन्य मामलों में लासेज को कैसे रोका जा सकता है। तभी हमें जो प्रतिवर्ष इतना लास पहुँच रहा है, उसको रोका जा सकता है।

आप कहते हैं कि वह लास लगभग 1.2 प्रतिशत होता है, लेकिन यह 1.2 प्रतिशत ही करोड़ों रुपयों में हो जाता है। इसलिए आप 1.2 प्रतिशत लास मान कर ही सैटिस्फाई नहीं हो सकते। यह आपकी कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि 1.2 प्रतिशत करोड़ों रुपये में चला जाता है। यदि करोड़ों रुपये में हमारा हर साल लास हो, पिलफरेज हो, चोरियां हो जाएं, डेमरेज हो जाए और फिर आप 1.2 प्रतिशत लास मान कर कुछ न करें, यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आपको पूरी प्रिकौशनरी मैजर्स उठाने चाहिएं। आखिर एक करोड़ रुपया साल का डेमरेज क्यों होता है। यदि आप किसी व्यापारी को देखें तो वह किसी भी सूरत में एक पैसे का भी डेमरेज नहीं होने देता। जब व्यापारी एक पैसे का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ हम करोड़ों रुपये साल का डेमरेज करते चले जाएं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन रिस्पौंसिबल है। उन अधिकारियों या लोगों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है, कौन से ठोस कदम उठाये हैं, जिनसे हम सैटिस्फाइड हो सकें। यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

यहां पर करप्शन आदि की बात भी की गई है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन विशेष तौर पर यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जब गेहूं की प्रोक्योरमेंट की जाती है, तब आपने ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड बना रखे हैं, लेकिन उसके अन्दर बड़ी भारी गड़बड़ होती है। आपके लोग इसमें बड़ी गड़बड़ी मचाते हैं। जिस गेहूं को वे लेते हैं और उनको कुछ मिलता है उस गेहूं को वे थर्ड ग्रेड का होते हुए भी फर्स्ट ग्रेड कर देते हैं जब कि जो किसान पैसा नहीं देता है, ईमानदार होता है, तो उसके फर्स्ट ग्रेड गेहूं को भी थर्ड ग्रेड करार दिया जाता है। इस तरह की आज किसानों के सामने स्थिति पैदा हो रही है। वे अपनी समझ के मुताबिक ही फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड ग्रेड बनाते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। मैं नहीं समझता कि आप थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को अलग-अलग कैसे रखते हैं। आप तो सबको मिला देते हैं, और उस मिले हुए गेहूं को ही आगे दे दिया जाता है। उससे ग्रेड्स आदि का कोई पता पड़ता नहीं और उनकी गड़बड़ का भी पता नहीं चल पाता। इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप गेहूँ को ग्रेड वाइज स्टोर करें। इस मामले में आपके एक्सपर्ट्स बहुत ही गड़बड़ करते हैं, जिसके कारण किसानों को लास पहुँचाते हैं। क्यों ग्रेड के हिसाब से तो आपके गोदामों में गेहूं रखा नहीं जाता है, उसमें तो आप सब को एक साथ मिला देते हैं। फिर दूसरे गेहूं, जो कि कैसे भी मार्केट का या ग्रेड का हो, सबको मिला दिया जाता है और ऐसे ही आगे दे दिया जाता है, चाहे उसमें कंकर हों, पत्थर मिले हों, उसको कोई नहीं देखता। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

अब आखिरी प्वाइंट मैं वेट या तोल के बारे में उठाना चाहता हूं। आपके लोग जो गेहूँ देते हैं, वे तोल कर पूरा भी नहीं देते हैं। उन लोगों को जो रिटेलर्स होते हैं, कभी पूरा गेहूँ नहीं मिलता। फिर जब लेने की बारी आती है तो तोल कर ज्यादा लेते हैं परन्तु जब देने की बारी आती है तो कम तोल कर देते हैं। इस तरह भी वे गड़बड़ी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह मामला इतना संगीन है कि इस सम्बन्ध में अवश्य ही किसी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। वह समिति बैठकर निर्णय करेगी, आपको अच्छे सुझाव

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

देगी और आप अच्छे क़दम उठाकर इस लास से बच सकेंगे। जो लास हमारे यहां हर साल करोड़ों रुपये में होता है। फिर इतना खर्च नहीं होगा इस कमेटी को बनाने में, जब कि उसकी तुलना में हमारा लाभ कहीं ज्यादा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्टीकरण दें। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ बातों का जवाब तो मैं पहले ही तफसील से दे चुका हूं। मैं मान चुका हूँ कि जितना नुकसान होता है चोरी से या डेमरेज से, जो अनाज खराब होता है, सड़ता-गलता है, मेरी निगाह में भी वह काफी ज्यादा है और इसको जरूर कम करना चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, उसके लिए हम कुछ उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय यही हो सकता है कि आफिसर्ज पर और जिम्मेदारी डाली जाए और सख्ती की जाए, अगर हम किसी को पकड़ सकें, तो उसे सजा दी जाए। श्री हरिकेश बहादुर ने ठीक कहा है। जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, उनके पीछे तो सरकार नहीं भागती। मेरा भी कायदा यही है कि बड़ी मछली अगर पकड़ में आ जाए, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीनियर आफिसर्ज को ठीक चला सकेंगे, तो वे अपने मातहतों को ठीक चलाएंगे।

जहां तक मेरी कोशिश का ताल्लुक है, मैं इस तलाश में हूँ। कुछ आफिसर्ज तो तबदील हो गए हैं, कुछ नए आये हैं। मैं खुद भी अपने तरीके से मालूम करता रहता हूँ कि कौन आफीसर कैसा है। जहां कहीं खरीद के मामले में, या क्वालिटी कंट्रोल के मामले में, एफ० सी० आई० के हैडक्वार्टर में, या रिजनल आफिसिज में या जोनल आफिसिज में अफ़सरों का निकम्मापन मेरी नजर में आया, तो कम से कम इतना तो हम जरूर कर देंगे कि उनकी रिपोर्ट खराब करके, उनकी दुम मरोड़ कर वापस भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस तरह से काम चलायेंगे और मुझे हाउस का पूरा समर्थन मिला, तो कोई वजह नहीं है कि एफ० सी० आई० का काम बेहतर न हो सके।

एफ०सी० आई० की बहुत बदनामी होती रहती है। उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य शायद पूरी जानकारी नहीं ले पाते, इसलिए उनको कुछ ख्याल हो जाता है। लेकिन जो बातें वे खराबी, नुकसान और करप्शन की कहते हैं, उन पर हम पूरा ध्यान देते हैं। अगर वे इस बारे में हमें केसिज बताएंगे, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और जांच भी करवाएंगे।

कहा गया है कि कोई एन्क्वायरी ठप्प कर दी गई है। मैं तो यह कोशिश करता हूं कि कहीं कोई गुंजाइश मिले, तो मैं एन्क्वारी कराऊं। इसलिए कोई एन्क्वायरी बन्द कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे इल्म में यह बात नहीं है। अगर मेरे इल्म में कोई बात आई, तो उसकी देख-भाल की जाएगी।

श्री गंगवार ने कहा कि सबस्टैंडर्ड गेहूँ खरीदा जाता है। इसमें भी कहीं-कहीं मैलप्रैक्टिसिज होती हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता। उसमें एफ० सी० आई० ही जिम्मेदार नहीं होती है। उसमें स्टेट्स की एजेन्सीज भी हैं। व्यापारी भी मिले होते हैं। रटेट्स की एजेन्सीज और एफ०सी०आई० भी मिल जाते हैं मंडियों में। मैं आपको खुली दावत देता हूँ कि अगर किसी मंडी से कोई शिकायत

हो, तो आप चुपके से मुझे खबर दिया करें, हम छापा मार कर पकड़ लिया करेंगे।

जब यह नई मिनिस्ट्री बनी थी, तो पहले साल हमने यही किया था। हिन्दुस्तान की मंडियों में जो कर्मचारी थे, मैंने जोनवाइज और रिजन-वाइज उनकी लिस्ट अपने पास मंगा कर रखी, ताकि अगर किसी एम. पी. या किसी आम आदमी से इत्तिला मिल जाए, तो फ़ौरन उस कर्मचारी को पकड़ लिया जाए। मैं हर साल मंडी-वाइज लिस्ट मंगा कर रखता हूं। हम निगाह रखते हैं। सीनियर आफिसर्स पर और ज्यादा निगाह रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बहस के बाद वे कुछ चाक-चौबंद हो जाएगे। अगर नहीं होंगे, तो मार खाएगे।

श्री गंगवार ने पंजाब के किसी बैग स्कैंडल के बारे में कहा कि अच्छी क्वालिटी के बैग में चावल, पैंडी देते थे और पुराने बैग में वापस कर देते थे। श्री भाटिया ने भी यहां यह सवाल उठाया था और उसका जवाब दिया गया था। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, इस बारे में सीनियर रिजनल मैनेजर से पूछा गया था और उसने यह सवाल होने के बावजूद कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने विजिलेंस की एन्क्वायरी करने के लिए आर्डर्ज किए। अगर विजिलेंस की एन्क्वायरी में पाया गया कि सीनियर रिजनल मैनेजर की रिपोर्ट गलत थी, या उसने कोई चीज छिपाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगर हमें मालूम हो गया कि विजिलेंस वालों ने भी हमें सही रिपोर्ट नहीं दी; तो चाहे मुझे जा कर देखना पड़े, असलियत निकाल कर कुसूरवारों को सजा दी जाएगी।

जहां तक आज बातचीत से मुझे पता लगा है, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की रिपोर्ट में कोई ऐसी खास चीजें तो नहीं हैं, जिनपर उतावलेपन से एकदम कोई कार्यवाही करने की जरूरत हो। लेकिन जो सुझाव हैं, हम उन पर पूरा गौर कर रहे हैं। हम उस रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही करेंगे। अगर बेहतरी के लिए पार्लियामेंट की किसी कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी या पार्लियामेंट के मेम्बरों की तरफ कोई सुझाव आएगा, तो हम उस पर पूरा ध्यान देंगे।

जैन साहब ने कुछ बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि लासिज ज्यादा हैं और इन्तजाम बेहतर होना चाहिए। अगर ट्रांसिट में और गोदामों में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाए, तो उससे देश की हानि होती है और हमारा अनाज भी कम होता है। मैं तो यह समझता हूं कि अगर करप्शन को पनपने या फैलने दिया जाए, तो माली तौर पर जो नुकसान होता है, वह इतना बुरा नहीं होता, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के खराब होने से देश को ज्यादा देर तक नुकसान होता है जिसको सम्भालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He also said about demurrage to the tune of more than Rs. 1 crore.

RAO BIRENDRA SINGH : I have admitted that it is more than Rs. 1 crore. In fact, it is something around Rs. 1.62 crores for the year 1980-81. It was Rs. 1.08 crores the figure that I gave earlier; that is the loss in transit and storage of food grains. That is a huge loss. I agree; it must be reduced.

श्री रशीद मसूद ने जो तीन प्वांइट्स उठाये थे। मैं पीछे उनका जवाब नहीं दे सका। एक तो उन्होंने कहा था कि रोलर

[राव बीरेन्द्र सिंह]

फ्लोर मिल्ज को सब्सीडाइज्ड रेट पर जो अनाज दिया जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। कंट्रोल है मैदे और सूजी पर। उनकी कीमतें स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, हम नहीं करते। जब हम इशू करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वह अपनी स्टेट में कीमतों को कंट्रोल करे—वह मैदे और सूजी की कीमत इस तरह से कंट्रोल करे कि जो आटा और चोकर बचता है, उसको बेचकर, अगर मुनाफा कम रहता है, उसको पूरा कर लिया करें।

मैंने सुना है कि कहीं कोर्ट आर्डर्स होने से यह कायदा नहीं चलता है। एक केस मेरी निगाह में आया है कि वैस्ट बंगाल की किसी मिल को अनाज मिलता रहा और हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं देख-भाल कर रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपील करने के लिए क्या कदम उठाए, अगर वह मिल नाजायज फायदा उठाती चली जा रही है, तो उसे कैसे रोका जाए। हम इन बातों पर निगाह रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं-कहीं खराबियां हो जाती हैं। कहीं सरकारी वकील भी मिल जाते हैं और स्टेट सरकारें भी रियायतें बरतती होंगी। ये सब चीजें मेल-प्रेक्टिस में शामिल हैं। जहां तक सरकार निगाह रख सकती है, उसके बावजूद भी कहीं-कहीं खराबियां बाकी रह जाती हैं।

कन्स्ट्रक्शन के काम के लिए आपने जिक्र किया कि सी०पी०डब्ल्यू० डी० क्यों करे। एफ. सी. आई. क्यों न करें। एफ. सी. आई. का जितना मौजूदा काम है, पांच हजार करोड़ का उसका टर्नओवर है····

श्री रशीद मसूद : आपके यहां इन्जीनियर्स हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इन्जीनियर्स भी हैं। एफ सी. आई. अपने गोदाम बनाने के लिए अपने इन्जीनियर्स रखती है। लेकिन सी. पी. डब्ल्यू. डी. वाला काम भी अगर एफ. सी. आई. को सौंप दिया जाए, तो दोनों मिलकर क्या बन जायेंगे, मैं समझता हूं कि आपको इस पर ज्यादा बहस करनी पड़ेगी। ····(**व्यवधान**) ···सरकार का कायदा है। सी. पी. डब्ल्यू. डी. एक सेन्ट्रल एजेंसी है। जो भी सरकारी काम होते हैं, बिल्डिंग और सिविल वर्क के वे सी.पी. डब्ल्यू.डी. के जरिए कराए जाते हैं। उनके पास इसके लिए एक्सपर्टस हैं। अब अगर हर कारपोरेशन को आप इजाजत दे दीजिए कि वे अपना-अपना काम अलग-अलग कर लें तो मैं समझता हूं कि यह पालिसी का मामला होगा। जहां कहीं सी.पी.डब्ल्यू.डी. के काम में देरी होती है, तो वर्क्स एन्ड हाउसिंग मिनिस्टरी से इजाजत लेकर हम कोशिश करते हैं डिपार्टमेंटली जल्दी काम करा लिया जाए। लेकिन वे कई बार इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि पालिसी का मामला है। इस मामले में मैं मजबूर हूँ कि एफ० सी० आई० को कन्स्ट्रक्शन के लिए एक अलग महकमा खोलने की इजाज़त दे दी जाए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : समिति के गठन के बारे में।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप समिति के गठन के बारे में क्यों कह रहे है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think you are not satisfied with your reply. But the Members are more than satisfied with your reply.

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों का ख्याल है कि एफ० सी० आई० से

जिस कीमत पर अनाज इशू होता है, उसके ऊपर राज्य सरकारें रिटेल में फेयर प्राइस शाप्स पर ज्यादा कीमत चार्ज करती हैं। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं ने हाउस में भी कहा है जब यह बात मेरे ध्यान में आई, तो मैंने इन्स्ट्रक्शन दी हैं कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने ओवर-हैड चार्जेज का हिसाब लगा कर एफ० सी० आई० की कीमत के ऊपर दस रुपए से ज्यादा वसूल करेगी कन्ज्यूमर से, तो उसमें हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन अब भी कुछ स्टेट्स नहीं इस बात को मानती हैं। अगर कहीं पर 1 रु० 77 पै० में एक किलो चावल मिलता है, तो कहीं पर यह भी सुनने में आया है कि तीन रु० या सवा तीन रुपए तक चार्ज किया जाता है। स्टेट के अन्दर यह एक तरीका बन गया है, एफ० सी० आई० के इशू प्राइस के ऊपर वे अपने रिवेन्यू को बढ़ाएं, उससे पैसा कमायें, यह कन्ज्यूमर के हित की बात नहीं है। यह सरकार की पालिसी नहीं है, इसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप साहेबान से भी मैं कहूंगा कि आप अपने इलाकों में भी यह पता करें कि एफ० सी० आई० की जितनी प्राइस हमने रखी हुई है, उसको कितना बढ़ा-चढ़ा कर फेयर प्राइस शाप्स पर लोगों को अनाज, गेहूं व चावल आदि, मिलता है। कहीं पर ज्यादा कीमत हो तो आप रोकिए और हमें इत्तिला दीजिए। हम उसको बन्द करने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टेट के कोआपरेशन की भी हमें आवश्यकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your Ministry also can check these Fair Price Shops in different parts of our country as to at what price they are selling them.

RAO BIRENDRA SINGH : We are trying to find out at what price they are selling.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can check it

RAO BIRENDRA SINGH : We have issued directions last year but I am not satisfied with the implementation and the price that is being charged in some parts of the country even now. It is not in the consumers' interest and the States are not expected to increase their revenues through its public distribution system.

18.49 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, October 19, 1982/Asvina 27, 1904 (Saka).